रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1162] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2006/आश्विन 11, 1928
No. 1162] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2006/ASVINA 11, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1659(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

श्री विजय जोली, विधान सभा सदस्य, साकेत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन श्री मतीन अहमद और दिल्ली विधान सभा के 18 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 28 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि श्री मतीन अहमद, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं, जो दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त पद नहीं है और इसलिए वे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अर्थान्तर्गत निरर्हता के लिए दायी हैं;

और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन तारीख 10 अप्रैल, 2006 के एक निदेश द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री मतीन अहमद और दिल्ली विधान सभा के अन्य सदस्य राष्ट्रीय राजधानी

राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए थे;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है कि वर्तमान याचिका, जहां तक इसका संबंध श्री मतीन अहमद के दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित रुप से निरर्हित होने से है, उस प्रभाव तक कि यदि श्री मतीन अहमद ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् कोई निरर्हता उपगत की थी तो वह अब वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथाअंत:स्थापित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31क के कारण दूर हो गई है, और वे अब राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) खंड (क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हैं;

अत:, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री मतीन अहमद राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हैं ।

भारत का राष्ट्रपति

25 सितम्बर, 2006.

[फा. सं. एच-11026(18)/2006-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड,-नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं0 48/1879

[दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का एक सदस्य होने के लिए श्री मतीन अहमद की अभिकथित निरर्हता ।

श्री विजय जौली, विधान सभा सदस्य.....याची

बनाम

श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य.....प्रत्यर्थी

उपस्थित

याची के लिए
1. श्री राजेश रंजन, एडवोकेट
2. श्री विजय जौली

प्रत्यर्थी के लिए
1. श्री अनिल अमृत, एडवोकेट
2. श्री सुभाष गुलाटी, एडवोकेट
3. श्री मोहम्मद साजिद, एडवोकेट

राय

भारत के राष्ट्रपति से, एक निर्देश, तारीख 10 अप्रैल, 2006, प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन विधान सभा के सदस्य होने के लिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के 19 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. उपरोक्त प्रश्न, विधान सभा सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् सरकार के अधीन 'लाभ का पद' धारण करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के 19 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए, श्री विजय जौली, विधान सभा सदस्य, साकेत सभा निर्वाचन-क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई एक याचिका पर उठा । वर्तमान राय, श्री विजय जौली की याचिका में उल्लिखित 19 विधान सभा सदस्यों में से एक श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर विचार करती है ।

3. आयोग ने, 02-05-06 को, 19 विधान सभा सदस्यों को, अपने लिखित कथनों को फाइल करने के लिए, उनको 22-05-06 तक का समय अनुज्ञात करते हुए, सूचनाएं जारी की थीं ।

4. श्री मतीन अहमद ने 22-05-06 को अपना लिखित कथन फाइल किया था । अन्य 18 विधान सभा सदस्यों ने 4 से 6 सप्ताह का समय विस्तार, इस आधार पर मांगा था कि उनको सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय अपेक्षित है । अपनी लिखित दलीलें फाइल करने के लिए उनको 3 सप्ताह का समय विस्तार प्रदान करते समय आयोग ने, श्री मतीन अहमद के संबंध में, क्योंकि वह, अपना विस्तृत उत्तर पहले ही फाइल कर चुके थे, मामले को सुनने का विनिश्चय किया ।

5. याचिका में, श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य से संबंधित अभिकथन है कि वह अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड का पद धारण कर रहे हैं, जो दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त, पद नहीं है अतः वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अर्थ के भीतर निरर्हता के लिए दायी हैं ।

6. अपने लिखित कथन में, श्री मतीन अहमद ने प्रस्तुत किया था कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31क के, जो कि "वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006" द्वारा अंतःस्थापित की गई थी, जिसको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति 24 अप्रैल, 2006 को, प्राप्त हुई थी और उसको अधिसूचना तारीख 27 अप्रैल, 2006 द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया गया था, उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन उनके द्वारा कोई निरर्हता उपगत नहीं की गई है । नई अंतःस्थापित धारा 31क निम्न प्रकार से है :--

> "31क. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का निवारण--यह घोषित किया जाता है कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के पद, निरर्हित नहीं होंगे और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होना नहीं समझा जाएगा ।"

7. प्रत्यर्थी ने पत्र सं0 21(1)/जीसी/डीडब्ल्यूबी/2006/122, तारीख 5-5-2006 की एक प्रति भी दी थी जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को प्रदत्त पारिश्रमिक, वेतन, संदाय, उपलब्धियां, प्रतिकरात्मक भत्ते या फीस और अन्य सुविधाएं जैसे वाहन भत्ता, मकान का किराया, कार्यालय स्थान सुविधा आदि की हकदारी के प्रश्नों को स्पष्ट करते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा एसडीएम (मुख्यालय-II) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन को भेजा गया था । उस स्पष्टीकरण वाले पत्र में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित किया था कि उनके द्वारा धारित पद के लिए, कोई पारिश्रमिक, वेतन, संदाय, अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड, नहीं ले रहे हैं । वह कार्यालय और शासकीय बैठक आदि में उपस्थित होने के लिए कार्यालय वाहन का उपयोग करते हैं और अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पारिश्रमिक पर कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है । उपरोक्त स्पष्ट की गई विधिक और तथ्यपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्रत्यर्थी ने यह प्रस्तुत किया था कि उसके विरुद्ध याचिका पोषणीय नहीं थी और गुणागुण से रहित थी ।

8. मामले की सुनवाई 16.06.06 को हुई थी । प्रत्यर्थी श्री मतीन अहमद ने इस आधार पर कि उसके काउंसिल दिल्ली से बाहर थे, सुनवाई को मुल्तवी करने के लिए प्रार्थना की थी । याची ने मुल्तवी करने के लिए प्रार्थना का कोई विरोध नहीं किया था । आयोग प्रार्थना से सहमत हुआ था । याची को श्री अहमद द्वारा 22.5.2006 को फाइल की गई लिखित दलीलों का अपना प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए अनुज्ञात भी किया गया था । अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई, 2006 नियत की गई थी ।

9. याची ने श्री मतीन अहमद (प्रत्यर्थी सं0 4) के लिखित कथन का अपना प्रत्युत्तर 16.06.2006 को फाइल किया था । प्रत्युत्तर में याची ने दोहराया कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित वक्फ के अध्यक्ष और सदस्यों के पद दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 (संक्षिप्त में 'अधिनियम 1997') की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त पद नहीं हैं । अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष, दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग के केवल दो पद ही, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन यथाअनुध्यात निरर्हता से छूट प्राप्त हैं ।

10. याची ने और प्रतिवाद किया कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वर्तमान याचिका के फाइल होने के पश्चात्, वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा, भूतलक्षी प्रभाव के साथ वक्फ

अधिनियम, 1995 में नई धारा 31क अंतःस्थापन द्वारा उत्तरदाता (श्री मतीन अहमद) निरर्हता से बचाने का प्रयास किया गया है । उन्होने और कथन किया कि वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 एक आभासी विधान का भाग है जो अंतिम रूप से अकृत्य और शून्य है और इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है और संविधान की भावना के विरुद्ध है और निरस्त होने योग्य है । उन्होंने फिर कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष का पद राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद है ; जिसके साथ वेतन और पारिश्रमिक संबद्ध हैं और 1997 के अधिनियम के अधीन छूट-प्राप्त नहीं है । याची ने जया बच्चन बनाम भारत संघ और अन्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (जेटी 2006(5)एस.सी.414) का अवलंब भी लिया है जिसका प्रभाव है कि कोई सदस्य चाहे राज्य के अधीन लाभ के पद से वेतन और पारिश्रमिक प्राप्त करता हो या नहीं संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(क) के प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा और यदि वेतन और पारिश्रमिक पद से संबंध हैं तो उक्त पद का धारक उक्त अनुच्छेद 191 (1)(क) के अर्थों के अधीन निरर्हित होगा । उन्होंने फिर कहा कि उत्तरदाता ने यह अस्वीकार नहीं किया है कि राज्य के अधीन दिल्ली वक्फ बोर्ड लाभ का पद है और, अतः यह स्वीकार किया गया समझा जाएगा कि वह पद लाभ का पद है ।

11. 6 जुलाई, 2006 की सुनवाई पर याची अपने विद्वान काउंसेल, श्री राजेश रंजन के साथ उपस्थित हुए । अपने मौखिक निवेदन में, विद्वान काउंसेल ने निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को वक्फ अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए विधान पारित करने की शक्ति नहीं है, जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है । उन्होंने प्रतिवाद किया कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 राज्य सरकार को उक्त अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है और न कि स्वयं अधिनियम को संशोधन करने की ।

12. उन्होंने और प्रकथन किया कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31 के अधीन निरर्हता से केवल संसद् सदस्य को छूट प्राप्त है । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया कि दिल्ली वक्फ नियम, 1997 के नियम 56(1) के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी विहित प्ररूप डीडब्ल्यूबी 33 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट तैयार करेगा, इसके साथ-साथ बोर्ड या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को भत्ते या फीस के लिए भी बजट उपबंध प्रदर्शित करेगा । काउंसेल के अनुसार, यह विवक्षित है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद के साथ धनीय लाभ के रूप में भत्ते या फीस संबद्ध हैं ।

13. श्री अनिल अमृत, विद्वान काउंसेल, जो उत्तरदाता की ओर से उपस्थित हुए ने प्रतिवाद किया कि पूरी याचिका अस्पष्ट है और उसमें कोई वाद हेतुक अभिकथित नहीं किया गया है । उन्होंने प्रतिवाद किया कि संपूर्ण याचिका में यह अभिकथित नहीं किया है कि अध्यक्ष दिल्ली वक्फ बोर्ड का पद "लाभ का पद" है । उन्होंने यह निवेदन किया है कि कोई दस्तावेज/सामग्री अभिलेखों पर नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड धनीय फायदे वेतन, भत्ते की प्रकृति में, अपने अध्यक्ष पद के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई अन्य संदाय प्राप्त करने का हकदार है और या प्राप्त किए हैं ।

14. श्री अनिल अमृत ने यह और निवेदन किया कि याची का प्रकथन कि दिल्ली विधान सभा को वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 को पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, गलत है । उन्होंने कहा कि 1991 में जब दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र बना भारत के संविधान में अनुच्छेद 239कक के अंतःस्थापन द्वारा विशेष उपबंध किया गया है । खंड (3) का उपखंड (क) दिल्ली विधान सभा को संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने को सशक्त करती है । उन्होंने

यह प्रकथन किया कि याची का प्रकथन है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा को वक्फ अधिनियम, 1995 को, जो केन्द्रीय अधिनियम है, का संशोधन विधान पारित करने की शक्ति नहीं है भ्रांत धारणा है । उन्होंने और कहा कि एक बार जब विधान पारित हो गया है, राष्ट्रपतीय अनुमति प्राप्त हो गई है और वह सम्यक् रूप से अधिसूचित हो चुका है, और शब्दों और भावनाओं में वह लागू हो चुका है । उन्होंने यह प्रतिवाद किया कि केवल सक्षम अधिकारिता के न्यायालय अधिनियमित विधि के विरुद्ध कोई प्रतिवाद स्वीकार किए जा सकते हैं और ऐसे वाद हेतुक किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाए जा सकते हैं । उन्होंने यह निवेदन किया कि वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में धारा 31क में अंतर्विष्ट कानूनी उपबंध का मत है कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं होंगे ।

15. जहां तक किसी कानून का भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने के लिए शक्तियों का संबंध है विशिष्टतया वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में उत्तरदाता के विद्वान काउंसेल ने निवेदन किया कि विधान मंडल के लिए भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे किसी कानून को पारित करने से कोई बाधा नहीं होगी । उन्होंने इस निमित्त कान्ता कथूरी बनाम मानक चंद सुराना (1970 2 एससीआर 838) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है ।

16. श्री अमृत ने और प्रलंब लिया कि श्री अहमद सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए गए थे और पद से संबद्ध कोई वेतन, भत्ते या अन्य धनीय लाभ संबद्ध भी नहीं हैं पद को "लाभ के पद" की पदावली में नहीं है । उन्होने कहा कि दिल्ली वक्फ नियम, 1997 का केवल प्ररूप नियम डीडब्ल्यूबी-23 में उल्लिखित है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के भत्तों या फीस के उपबंधों की ओर बजट का प्राक्कलन देगा, बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या सदस्य कोई भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के भत्ते या फीस के संदाय के लिए व्ययों के लिए कोई बजटीय उपबंध बजट प्रस्ताव में नहीं हैं ।

17. विद्वान काउंसेल ने यह और निवेदन किया है कि यह तर्क कि कोई पद केवल इस तथ्य के आधार पर " लाभ का पद" होगा कि सरकार के अंतर्गत पदों की सूची में ऐसा पद भी आता है जिसको ऐसे पद के धारक के संबंध में निर्हता लागू नहीं होती है, आवश्यक रूप से यह अभिप्रेत नहीं होता है कि ऐसा पद वास्तव में एक लाभ का पद है । उन्होंने उपर्युक्त प्रतिपादना के संबंध में रावन्ना सुबन्ना बनाम जी.एस कगेरप्पा (एआईआर 1954 एससी 653) वाले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्ति का अवलम्ब लिया है :

"……..

(13) उच्च न्यायालय ने इस बिन्दु को अपीलार्थी के विरुद्ध विनिश्चित करते हुए मैसूर विधानमंडल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 की धारा 2 के उपबंध पर अत्यधिक बल दिया है, जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि -

" कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण मैसूर विधान मंडल का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित नहीं होगा कि वह अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई लाभ का पद धारण किए हुए है ।"

अनुसूची की मद सं.2 में " सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य" का उल्लेख किया गया है । इसके बावजूद धारा में यह अधिकथित है कि अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय पदों को धारण करने वाले व्यक्ति, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त समिति या

बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य भी सम्मिलित है, केवल इस तथ्य के कारण कि उसने कोई लाभ का पद धारण कर रखा है, विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

हम यह नहीं समझते हैं कि इस उपबंध का प्रभाव यह है कि अनुसूची में उल्लिखित पद आवश्यक रूप से इस तथ्य के होते हुए भी कि उन पदों से कोई लाभ भी सलग्न है अथवा नहीं, लाभ के पद समझे जाएंगे किन्तु इन उपबंधों के कारण उन पदों के धारक व्यक्ति विधानमंडल के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं हो सकते । इस धारा का उद्देश्य कतिपय वर्णन के पद के धारकों को छूट देने का भी हो सकता है और उक्त उपबंध का सारांश यह है कि वे इस छूट का लाभ लेंगे भले ही अन्यथा उनको लाभ के पद का धारक माना जाता हो । किसी भी दृष्टि से यह दलील नहीं दी जा सकती कि किसी सरकारी समिति का अध्यक्ष या सदस्य विशुद्ध रूप से मानद हैसियत में कार्य करता है और उस पद पर कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है फिर भी उसे इस धारा के उपबंधों की दृष्टि में लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति माना जाएगा । हमारी राय में यह उपबंध कोरी सावधानी के लिए ही किया गया होगा और इसके अतिरिक्त इसका कोई आशय नहीं है । अतः हम यह समझते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया मत सही नहीं है और जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी तात्विक समय पर सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं कर रहा था, वह निश्चित रूप से मैसूर नगरपालिका अधिनियम के अधीन पार्षद के रूप में चुने जाने का पात्र था ।"

18. आयोग ने मामले के सभी पहलुओं, विपक्षी दलीलों और विधिक स्थिति पर विचार किया । इस मामले में विचार के लिए प्राथमिक विवाद्यक यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद को विधि के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है अथवा नहीं । प्रस्तुत मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी को दिसम्बर, 2003 में दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था । तथापि राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा कोई पद धारण करने से ही स्वतः अनुच्छेद 191 या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राजक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अधीन निरर्हता लागू नहीं होती । यहां यह उल्लेख करना होगा कि प्रत्येक पद धारण करने से ही संसद या राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति निरर्हत नहीं हो जाता बल्कि उसे (i) कोई पद, (ii) कोई लाभ का पद और (iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करना चाहिए । किसी व्यक्ति के बारे में यह कहने से पूर्व कि वह व्यक्ति निरर्हित हो गया है इन सभी तीनों संघटकों का एक साथ समाधान करना होगा । इसके अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह परिकल्पना की थी कि सरकार के अधीन कुछ ऐसे पद हो सकते हैं जिनपर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा सकती है जिनके पास कतिपय क्षेत्रों में विशेष अर्हताएं, विशेषज्ञता या अनुभव हो और संसद् या विधान मंडलों के सदस्यों के रूप में उनकी सेवाएं लोक हित में मूल्यवान हो सकती हैं । संविधान ने संसद् और राज्य विधान मंडलों को प्रत्येक पदों को निरर्हता की परिधि से छूट देने की शक्ति दी है ।

19. उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद् और सभी राज्य विधान मंडलों ने ऐसी विधियां अधिनियमित की हैं जिनके अधीन अनेक पदों को इस रूप में घोषित किया गया है कि उनके पदधारकों को संबंधित सदनों की सदस्यता के लिए निरर्हित नहीं समझा जाता है । किन्तु ऐसी घोषणा के आधार पर उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के आधार पर निरर्हित समझा जा सकता था । ऐसे छूट प्राप्त पदों में एक राज्य से दूसरे राज्य में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भिन्नता है और आवश्यक रूप से सभी राज्यों में

उनमें समानता नहीं है । कभी-कभी ऐसा होता है कि संसद् द्वारा उसके धारकों संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हित न होने के लिए घोषित पद राज्य विधान मंडलों द्वारा इस प्रकार घोषित पदों की सूची में वर्णित न हो और इसके विपर्ययेन होता है ।

20. भगवान दास सहगल बनाम हरियाणा राज्य (1975 2एससीसी 249) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अनुच्छेद 102(1)(क) और अनुच्छेद 191(1)(क) विधानमंडल को विधि द्वारा यह घोषणा करने के लिए व्यापक शक्ति प्रदान करता है कि सरकार के अधीन धारित कौन सा या कौन से लाभ का या लाभ के पद अपने धारक को विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिए अथवा सदस्य होने के लिए अनर्ह नहीं बनाएगा या बनाएंगे । निरर्हता के निराकरण के प्रयोजनार्थ ऐसे पदों का वर्गीकरण इस प्रकार मुख्यतया विधायी विवेक पर छोड़ दिया गया है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक छूट देने वाली इस शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और सम्यक् संयम के साथ और ऐसी रीति में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 102(1)(क) और अनुच्छेद 191(1)(क) का वास्तविक आशय समाप्त ही होता है अथवा उससे कोई सांविधानिक गारंटी अथवा आदेश की अवहेलना नहीं होती है तबतक न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

21. उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती कान्ता कथूरीया बनाम एम. मानक चन्द सुराणा (1970 2 एससीआर 838) में यह और अभिनिर्धारित किया है कि संसद् और राज्य विधान मंडल भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन करने की अपनी उपर्युक्त छूट देने संबंधी शक्ति का प्रयोग करके विधि बना सकते हैं ।

"अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं । क्या राजस्थान विधान सभा के अधिनियम से अनर्हता भूतलक्षी रूप से हटाई जाती है, दूसरे शब्दों में क्या निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात् विधानमंडल द्वारा ऐसी कोई विधि पारित की जा सकती है ?

पहला प्रश्न यह है कि क्या नई विधि प्रतिक्रियापूर्ण है या घोषणात्मक । यदि वह घोषणात्मक थी तो वह भूतलक्षी होगी । यदि प्रतिक्रियापूर्ण थी तो वह केवल भविष्यलक्षी होगी जब तक कि वस्तुतः भूतलक्षी न बनाई जाए । यह कि वह विधि अभिव्यक्त रूप से भूतलक्षी बनाई गई थी, इससे इस बात का समर्थन होता है कि वह प्रतिक्रियापूर्ण थी । भूतलक्षी रूप से उसका प्रवर्तन अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की या उसके निर्वाचन की तारीख को उसकी अस्तित्वशील अनर्हता हटाने में प्रभावकारी होने पर निर्भर करता है । निःसंदेह इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है कि विधि का भविष्यलक्षी प्रवर्तन पूर्ण रूप से विधिमान्य ठहराया जाए । एकमात्र विवाद उसके भूतलक्षी प्रवर्तन की बाबत है ।

सुनवाई के समय हमारा ध्यान हमारी संसद् और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए ऐसे कई अधिनियमों की ओर आकृष्ट किया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि विधिमान्यकरण विधियां बनाने की एक सुस्थापित विधायी पद्धति है । यह भी सुमान्य है कि संसद् और राज्य विधानमंडल अपनी विधियां भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त करने के लिए बना सकते हैं । कोई भी विधि जो भविष्यलक्षी रूप से बनाई जा सकती है, सिवाय इसके कि कतिपय विधियां प्रतिक्रियापूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, भूतलक्षी प्रवर्तन सहित बनाई जा सकती हैं । यह उनमें से एक नहीं है ।

चूंकि यह स्थिति पक्के तौर पर आधारित है अतः हमें उन परिसीमाओं को जो यदि संविधान में हो, देखना होगा । अनुच्छेद 191 में (जो पहले उद्धृत किया गया है) ही राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा यह घोषित करने की शक्ति को मान्यता दी गई है कि कोई पद धारण करने वाला सदस्य के तौर पर चुने जाने के लिए अनर्ह नहीं होगा । अनुच्छेद में वर्णित है कि कोई व्यक्ति यदि वह राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला हो, अनर्ह होगा जब तक कि विधानमंडल द्वारा वह पद, धारक को अनर्ह न करने वाला घोषित न कर दिया जाए । इस

प्रकार राजय विधानमंडल की घोषणा करने की शक्ति आरक्षित है । अनुच्छेद के शब्दों में यह दर्शाने के लिए कोई बात नहीं है कि यह घोषणा भूतलक्षी रूप से नहीं की जा सकती । यह सच है कि इससे उन्हें लाभ मिल जाता है जो निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं । जब अनर्हता इस प्रकार उन व्यक्तियों के प्रति नहीं हटाई गई थी जो निर्वाचन लड़ने से दूर रहे क्योंकि अनर्हता नहीं हटाई गई थी । इससे इस प्रकार भूतलक्षी विधि निर्माण के औचित्य की बाबत प्रश्न उद्‌भूत नहीं हो सकते हैं । किन्तु ऐसी विधियां बनाने की हैसियत की बाबत प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता । इस देश में विधि निर्माण की पद्धति को ध्यान में रखते हुए और किसी अभिव्यक्त या विवक्षित स्पष्ट प्रतिषेध के न होने से हमारा समाधान हो गया है कि अधिनियम भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित होने के कारण अप्रभावशील घोषित नहीं किया जा सकता ।"

22. वर्तमान मामले में, दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित एक ऐसी विधि है जिसे राष्ट्रपतीय सहमति प्राप्त है और जिसे अधिसूचित किया गया है, जो, अन्य बातों के साथ, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और उसका सदस्य होने के लिए निरर्हता के कार्यक्षेत्र से छूट प्रदान करती है । आयोग की जानकारी के अनुसार, इस विधि की विधिमान्यता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और विधि का वर्तमान स्वरूप व्यापक है । आयोग भी प्रत्यर्थी के प्रतिविरोध से सहमत है कि विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि की विधिमान्यता को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष न कि आयोग के समक्ष चुनौती देनी पड़ती है । उच्चतम न्यायालय ने ए0सी0 जोश बनाम सीवान पिल्लै (ए0आई0आर 1984 एससी 921) में यह अधिकथित किया है कि आयोग, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों का पालन करने के लिए बाध्य है ।

23. ऊपर उल्लिखित वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में अब किए गए संशोधन के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए गठित वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष या उसके सदस्यों का पद, दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या उसका सदस्य होने के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से छूट प्राप्त है । आयोग ने, गत समय में, भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे संशोधन विषयक विधानों का संज्ञान लिया है, उदाहरणार्थ, हरियाणा के श्री गया लाल और 23 अन्य विधानसभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के बारे में, 1980 के संदर्भ मामला सं0 4 में दी गई आयोग की राय देखें । आयोग द्वारा वैसा ही दृष्टिकोण हाल ही में पुनः उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य, मोहम्मद आजम खान की अभिकथित निरर्हता संबंधी संदर्भ मामले [2005 का सं0 2 (जी)] में उत्तर प्रदेश के रज्यपाल के लिए अपनी तारीख 3 अप्रैल, 2006 की राय में अपनाया गया है । इसलिए, यदि श्री मतीन अहमद की कोई निरर्हता अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड, के पद पर उसकी नियुक्ति के कारण सभी तरह से थी तो वह उक्त वक्फ अधिनियम, 1995 में किए गए संशोधन के आधार पर, ऐसे पद के रूप में, जिसके धारक को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) के अर्थान्तर्गत निरर्हता लागू नहीं होगी, अब उक्त पद को अभिव्यक्त रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए निरर्हता हटायी जाती है ।

24. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का यह सुविचारित मत है कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य श्री मतीन अहमद की अभिकथित निरर्हता, यदि कोई हो, अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पद पर श्री मतीन अहमद की नियुक्ति की उसी तारीख से ही भूतलक्षी प्रभाव से हटाई जाती है । तदनुसार, आयोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,

1991 की धारा 15(4) के अधीन अपनी राय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जहां तक इसका संबंध इस प्रभाव के प्रत्यर्थी संख्या 4 से है कि यदि मतीन अहमद द्वारा, अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पद पर उस की नियुक्ति के पश्चात् कोई निरर्हता सभी तरह से उपगत की गई थी तो, निरर्हता अब वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा अंतःस्थापित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31क के आधार पर हटाई जाती है और उसे दिल्ली विधानसभा का सदस्य होने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) के अधीन निरर्हित नहीं किया जाता है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(एस0 वाई0 कुरैशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 10 अगस्त, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2006

S.O. 1659(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 28th March, 2006 of alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad and 18 other Members of Delhi Legislative Assembly under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 has been submitted to the President by Shri Vijay Jolly, MLA, Saket Assembly Constituency, New Delhi;

And whereas the said petitioner has averred in his petition that Shri Mateen Ahmad is holding the office of the Chairman, Delhi Wakf Board, which is not an office exempted from disqualification under the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 and hence he is liable to disqualification within the meaning of clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 10th April, 2006 under sub-section (4) of section 15 of the Government of National Capital

Territory of Delhi Act, 1991 on the question as to whether Shri Mateen Ahmad and other Members of Delhi Legislative Assembly, became subject to disqualification for being Members of Delhi Legislative Assembly under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex);

And whereas the Election Commission has given its opinion that the present petition, in so far as it relates to the alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad for being a Member of Delhi Legislative Assembly, to the effect that if at all there was any disqualification incurred by Shri Mateen Ahmad, following his appointment to the office of Chairman, Delhi Wakf Board, the same now stands removed by virtue of section 31A of the Wakf Act, 1995, as inserted by the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006, and he is not disqualified under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being a Member of Delhi Legislative Assembly;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby decide that Shri Mateen Ahmad is not disqualified for being a Member of Delhi Legislative Assembly under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

President of India

25th September, 2006.

[F. No. H-11026(18)/2006-Leg. II]

DR. B. A. AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA **NIRVACHAN SADAN**

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Reference Case No. 48 of 2006/1879

[Reference from the President of India under Section 15 of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991]

In re: Alleged disqualification of Sh. Mateen Ahmad, for being a Member of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, under Section 15 of the Govt. of NCT of Delhi Act, 1991.

Shri. Vijay Jolly, MLA ..... **Petitioner**

Vs.

Shri Mateen Ahmad, MLA..... **Respondent.**

Present

For Petitioner
1. Sh. Rajesh Ranjan, Advocate
2. Sh. Vijay Jolly

For Respondent
1. Sh. Anil Amrit, Advocate
2. Sh. Subhash Gulati, Advocate
3. Sh. Mohammad Sajid, Advocate

OPINION

A reference, dated 10th April, 2006, was received from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Section 15(4) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question of alleged disqualification of 19 Members of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, for being members of that Legislative Assembly, under Section 15(1)(a) of the said Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

2. The above question arose on a petition, dated 28th March, 2006, submitted to the President by Shri Vijay Jolly, MLA, Saket Assembly Constituency, New Delhi, raising the question of alleged disqualification of 19 MLAs of Delhi Legislative Assembly under Section 15(1)(a) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, for holding ' offices of profit' under the Government after their election as MLAs. The present opinion deals with the question of alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad, MLA, one of the 19 MLAs mentioned in the petition of Shri Vijay Jolly.

3. The Commission issued Notices to the 19 MLAs on 02-05-06 allowing them time upto 22-05-06 to file their written statements.

4. Shri Mateen Ahmad filed his written statement on 22-05-06. The other 18 MLAs sought extension of time by 4 to 6 weeks on the ground that they required more time to submit relevant documents. While the Commission granted extension

of time by 3 weeks to them to file their written submissions, it decided to hear the case in respect of Shri Mateen Ahmad as he had already filed his detailed reply.

5. The allegation in the petition relating to Shri Mateen Ahmad, MLA is that he is holding the office of the Chairman, Delhi Wakf Board which is not an office exempted from disqualification under 'The Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997' and hence he is liable to disqualification within the meaning of Section 15(1)(a) of the Government of NCT of Delhi Act, 1991.

6. In his written statement, Shri Mateen Ahmad submitted that there was no disqualification incurred by him under Section 15 (1) (a) of the Govt. of NCT of Delhi Act, 1991, in view of the provisions of Section 31A of the Wakf Act, 1995, inserted by "The Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006" which received the assent of the President of India on the 24th April, 2006 and was published for general information vide Notification dated the 27th April, 2006. The newly inserted Section 31A reads as under: -

> "31A. Prevention of disqualification for membership of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi --- it is hereby declared that the office of the Chairperson or members of the Board constituted for Union Territory of Delhi shall not be disqualified and shall be deemed never to have been disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi."

7. The respondent also furnished a copy of letter No.21(1)/GC/DWB/2006/122 dated 5-5-2006, sent to the SDM (HQ-II), Govt. of NCT of Delhi, by the Chief Executive Officer (CEO), Delhi Wakf Board, clarifying the questions of entitlement of remuneration, salary, pay, emoluments, compensatory allowances or fee and other facilities, like, conveyance, house rent, office accommodation, etc., provided to the Chairman of the Delhi Wakf Board. In that clarificatory letter, the CEO, Delhi Wakf Board, has categorically mentioned that the Chairman, Delhi Wakf Board is not getting any remuneration, salary, pay for the office held by him. He uses office transport for attending office and official meeting, etc., and no expenditure has been incurred on remuneration to the Chairman, Delhi Wakf Board. In view of the legal and factual position, explained above, the respondent submitted that the petition against him was not maintainable and was devoid of merit.

8. Hearing in the case was taken up on 16.06.06. The respondent Shri Mateen Ahmed requested for postponement of the hearing on the ground that his counsel was out of Delhi. The petitioner did not object to the request for postponement. The Commission agreed to the request. The Petitioner was also permitted to file his rejoinder to the written submissions filed by Shri Ahmed on 22.05.2006. The next hearing was fixed for 6th July, 2006.

9. The Petitioner filed his rejoinder to the written statement of Shri Mateen Ahmad (Respondent No.4) on 16-06-2006. In the rejoinder, the petitioner reiterated that the office of the Chairman or Members of the Wakf constituted for Union Territory of Delhi is not an exempted office under section 3 of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997('1997 Act' for short). As per the provisions of the 1997 Act, only two offices of the Chairman, Delhi Khadi and Village Industries Board and Chairman, Delhi Commission for Women are exempted from disqualification as contemplated under Article 191(1)(a) of the Constitution and Section 15 (1) (a) of Govt. of NCT of Delhi Act, 1991.

10. The petitioner further contended that an attempt has been made to save the respondent (Shri Mateen Ahmad) from disqualification by inserting a new Section 31A in the Wakf Act, 1995 with retrospective effect by the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006, after he filed the present petition before the President of India. He further stated that the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006 is a piece of colourable legislation, *ex facie* null and void, of no legal effect and is against the spirit of the Constitution and liable to be struck down. He reiterated that the office of the Chairman of Delhi Wakf Board is an office of profit under the State Govt.; has a salary and a remuneration attached to it and has not been exempted under the 1997 Act. The Petitioner also relied upon the judgment of the Supreme Court in Jaya Bachchan v. Union of India & Ors. (JT 2006 (5) S.C. 414) to the effect that whether a member receives salary and remuneration from any office of profit under the State or not is not material for the purpose of Article 191(1)(a) of the Constitution of India, and, if the salary or remuneration is attached to the office, the holder of said office is disqualified within the meaning of the said Article 191(1)(a). He further stated that the respondent did not deny that the Delhi Wakf Board is an office of profit under the State and, therefore, he should be deemed to have admitted that the office is an office of profit.

11. At the hearing on 6th July, 2006 the petitioner appeared alongwith his learned Counsel, Shri Rajesh Ranjan. In his oral submissions, the learned Counsel submitted that the Legislative Assembly of NCT of Delhi did not have the power to pass a legislation amending the Wakf Act, 1995 which is a Central Act. He contended that Section 109 of the Wakf Act, 1995 only gives powers to the State Govemment to make rules to carry out the purposes of that Act and not the power to amend the Act itself.

12. He further averred that only members of Parliament are exempted from disqualification under Section 31 of the Wakf Act, 1995. He also contended that as per Rule 56(1) of Delhi Wakf Rules, 1997, the Chief Executive Officer has to prepare a budget in respect of each financial year in a prescribed form DWB XXIII showing *inter-alia* the budgetary provision for allowances or fees to the Chairperson or Members of the Board or Committees. This, according to the counsel, implies that pecuniary benefit in the form of allowances or fees is attached to the post of Chairman of Delhi Wakf Board.

13. Shri Anil Amrit, learned counsel, who appeared for the respondent contended that the entire petition is vague and does not disclose any cause of action whatsoever. He contended that in the entire body of the petition, there is no mention whatsoever as to how the office of Chairman, Delhi Wakf Board, is an "Office of Profit". He submitted that no document/material has been placed on record to show that the Chairperson, Delhi Wakf Board is entitled to and/or has received any pecuniary benefit in the nature of salary, allowance, any other payment from Delhi Wakf Board by virtue of his being the Chairperson.

14. Shri Anil Amrit further submitted that the averment of the Petitioner that the Delhi Legislative Assembly did not have the power to pass the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006 was incorrect. He stated that a special provision was made in the Constitution of India by insertion of Article 239AA when the Union territory of Delhi became the National Capital Territory of Delhi in 1991. Sub-clause (a) of Clause (3) thereof empowered the Delhi Legislative Assembly to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters

enumerated in the State list or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union Territories. He averred that the averment of the Petitioner that the Legislative Assembly of NCT of Delhi did not have the power to pass a legislation amending the Wakf Act, 1995 which is a central Act was misconceived. He further stated that once a statute has been passed, received Presidential assent and has been duly notified, the same is to be made applicable in letter and spirit. He contended that only Courts of Competent Jurisdiction can entertain any challenges against enacted law, and that the issue cannot be raised before any other authority. He submitted that, in view of the statutory provision contained in Section 31A, as inserted in the Wakf Act, 1995, by the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006, the Chairperson or members of the Wakf Board, constituted for the Union Territory of Delhi shall not be disqualified for being chosen as or for being a Member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

15. In so far as the power to make applicability of any statute with retrospective effect is concerned, particularly in respect of the facts of the present case, the learned counsel for the respondent submitted that nothing bars the legislature from passing such a statute with retrospective effect. He relied upon the decision of the Supreme Court in Kanta Kathuria vs. Manak Chand Surana (1970 2 SCR 838) in this behalf.

16. Shri Amrit further contended that Shri Ahmad was not appointed by the Govt. and also there being no salary, allowance, or other pecuniary benefit attached to the office, the office cannot be termed as an "Office of Profit". He stated that mere mention in one of the Forms No. DWB-XXIII of the Delhi Wakf Rules, 1997 that the Chief Executive Officer can give the budgetary estimate towards the provision for allowance or fee to the Chairperson of Members of the Board or Committees, does not entitle the Chairperson or members of the Board or Committees to receive any allowance or fees. In none of the budget proposals any budgetary provision was ever made towards expenditure on payment of any allowances or fees to the Chairperson or Members of the Board or Committees.

17. The learned counsel further submitted that the contention that an office would be an "Office of Profit" by the mere fact that the Govt. includes such office amongst the list of offices that would not attract disqualification in relation to the holder of such office does not necessarily mean that such an office is actually an office of profit. He relied upon the following observation in the judgment of the Supreme Court in the case of Ravanna Subanna Vs. G.S. Kaggeerappa (AIR 1954 SC 653) in support of this above proposition:

"……

(13) The High Court in deciding this point against the appellant laid great stress upon the provision of section 2 of the Mysore Legislature (Prevention of Disqualifications) act 1951, which lays down that

> "a person shall not be disqualified for being chosen and for being a member of the Mysore Legislature by reason only of the fact that he holds any of the offices of profit specified in the schedule to the Act".

Item No.2 of the schedule mentions "the Chairman, Director or member of any committee or board appointed by the Government". All that the section lays down is, that persons holding certain offices, as specified in the schedule, amongst which the Chairman or a member of a committee or board appointed by the Government is included, shall not be disqualified for being chosen as a member of the Legislature by reason only of the fact that he holds an office of profit.

We do not think that the implication of the provision is that the offices mentioned in the schedule must necessarily be regarded as offices of profit, irrespective of the fact whether any profit is at all attached to them or not and that but for these provisions the persons holding them could not have been eligible for being chosen as members of the Legislature. The object of the section may be to grant exemption to holders of offices of certain descriptions and the provision in substance is that they will enjoy this exemption even though otherwise they might be regarded as holders of offices of profit.

In any view it cannot be argued that even if a Chairman or a member of a Government committee works in a purely honorary capacity and there is no

remuneration attached to the office, he will still be regarded as a person holding offices of profit in view of the provisions of the section. This provision might in our opinion have been made only out of abundant caution and nothing else. We think therefore that the view taken by the High Court is not right and as we hold that the appellant was not holding any office of profit under the Government at the material time he was certainly entitled to be chosen as a Councilor under the Mysore Town Municipalities Act."

18. The Commission has considered all aspects of the matter, the rival contentions and the legal position. The primary issue for consideration here is whether the office of Chairman, Delhi Wakf Board is exempted under the law from disqualification. In the instant case, it is an admitted position that the respondent was appointed to the office of the Chairman, Delhi Wakf Board after his election as Member of Delhi Legislative Assembly in December 2003. However, holding of any office by a Member of State Legislature does not *ipso facto* attract disqualification under Article 191 or Section 15 of the Govt. of NCT of Delhi, 1991. It is to be noted that it is not the holding of every office which disqualifies a person for membership of Parliament or of a state legislature, but it should be the holding of (i) an office (ii) an office of profit; and (iii) and office under the Government of India or the Government of any state. All these three ingredients must be satisfied together, before a person can be said to be so disqualified. Further, the Constitution makers envisaged that there may be certain offices under the government to which appointments may be made of persons having special qualifications, expertise or experience in certain fields and whose services as members of Parliament and state legislatures might also be of value in public interest. The Constitution has given power to the Parliament and state legislatures to exempt each offices from the purview of the disqualification.

19. In exercise of the above powers, Parliament and all state legislatures have enacted laws declaring several offices the holders whereof are not deemed to be disqualified for membership of the respective Houses, who but for such declaration

might have been considered to be disqualified on the ground of holding an office of profit under the Government of India or of any state. Such exempted offices vary from state to state having regard to their own needs and are not necessarily uniform in all States. Sometimes, an office declared by Parliament not to disqualify its holder for membership of Parliament may not find place in the list of offices so declared by the state legislatures and *vice versa*.

20. The Supreme Court has observed in Bhagwan Das Sehgal v State of Haryana (1975 1 SCC 249) that Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) give wide power to legislatures to declare by law which offices of profit held under the government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the legislature. Classification of such offices for the purpose of removing disqualification has been left primarily to legislative discretion. The Supreme Court held that so long as the legislatures exercise this exemptive power reasonably and with due restraint, in a manner which does not drain out Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) of their real content, or disregard any constitutional guarantee or mandate, the courts will not interfere with it.

21. The Supreme Court has further held in Smt Kanta Kathuria vs M Manak Chand Surana, (1970 2 SCR 838) that Parliament and state legislatures can make laws in exercise of their above exemptive power to operate retrospectively.

> "This brings us to the next question. Does the Act of the Rajasthan Legislature remove the disqualification retrospectively, in other words: can such a law be passed by the Legislature after the election is over?
>
> The first question is whether the new law is remedial or declaratory. If it was declaratory then it would be retrospective; if remedial only, prospective unless legally made retrospective. That it has been made expressly retrospective lends support to its being remedial. Its retrospective operation depends on its being effective to remove a disability existing on the date of nomination of a candidate or his election. Of course, there is no difficulty in holding the law to

be perfectly valid in its prospective operation. The only dispute is in regard to its retrospective operation.

At the hearing our attention was drawn to a number of such Acts passed by our Parliament and the Legislatures of the States. It seems that there is a settled legislative practice to make validation laws. It is also well-recognised that Parliament and the Legislatures of the States can make their laws operative retrospectively. Any law that can be made prospectively may be made with retrospective operation except that certain kinds of laws cannot operate retrospectively. This is not one of them.

This position being firmly grounded we have to look for limitations, if any, in the Constitution. Article 191 (which has been quoted earlier) itself recognizes the power of the Legislature of the State to declare by law that the holder of an office shall not be disqualified for being chosen as a member. The Article says that a person shall be disqualified if he holds an office of profit under the Government of India or the Government of any State unless that office is declared by the Legislature not to disqualify the holder. Power is thus reserved to the Legislature of the State to make the declaration. There is nothing in the words of the article to indicate that this declaration cannot be made with retrospective effect. It is true that it gives an advantage to those who stand when the disqualification was not so removed as against those who may have kept themselves back because the disability was not removed. That might raise questions of the propriety of such retrospective legislation but not of the capacity to make such laws. Regard being had to the legislative practice in this country and in the absence of a clear prohibition either express or implied we are satisfied that the Act cannot be declared ineffective in its retrospective operation."

22. In the present case, there is a law passed by the Delhi Legislative Assembly, which got Presidential assent and has been notified, which, *inter alia*, exempts the office of Chairman and Members of Delhi Wakf Board, from the purview of disqualification for being chosen as, and for being, Members of Delhi Legislative

Assembly. To the knowledge of the Commission, the validity of this law has not been challenged in any Court and the law holds the field. The Commission also agrees with the contention of the respondent that the validity of any law enacted by the legislature has to be challenged before the Court of competent jurisdiction and not the Commission. The Supreme Court has laid down in A. C. Jose vs. Sivan Pillai (AIR 1984 SC 921) that the Commission is bound to follow the laws enacted by Parliament and State Legislatures.

23. By virtue of the amendment now made to the Wakf Act, 1995 by the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006, referred to above, the office of the Chairperson or members of the Wakf Board constituted for the NCT of Delhi stand exempted from disqualification with retrospective effect, for being chosen as, and for being, members of the Legislative Assembly of Delhi. The Commission has taken cognizance of such amendment legislations with retrospective effect, in the past, e.g. see the Commission's opinion given in reference case no.4 of 1980 regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other MLAs of Haryana. Similar view has again been taken recently by the Commission in its Opinion dated 3rd April, 2006 to the Governor of Uttar Pradesh in a reference case [No. 2(G) of 2005] relating to alleged disqualification of Shri Md. Azam Khan, MLA of Uttar Pradesh. The present case is also similar to those cases. Therefore, if at all there was any disqualification of Shri Mateen Ahmad on account of his appointment to the office of the Chairman, Delhi Wakf Board, the same stands removed now, by virtue of the amendment made to the said Wakf Act, 1995, expressly specifying the said office as an office the holder whereof will not attract disqualification within the meaning of Section 15 (1) (a) of the Govt. of NCT of Delhi Act, 1991.

24. Having regard to the above constitutional and legal position, the Commission is of the considered view that the alleged disqualification, if any, of Shri Mateen Ahmad, member of Delhi Legislative Assembly, stands removed with retrospective effect from the very date of appointment of Shri Mateen Ahmad to the office of Chairman Delhi Wakf Board. Accordingly, the Commission hereby tenders its opinion

to the President under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, insofar as it relates to Respondent No.4, to the effect that if at all there was any disqualification incurred by Shri Mateen Ahmad, following his appointment to the office of Chairman Delhi Wakf Board, the same now stands removed by virtue of Section 31A of the Wakf Act, 1995 as inserted by the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006, and he is not disqualified under Section 15 (1) (a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being a member of the Delhi Legislative Assembly.

(S Y Quraishi) (N.Gopalaswami) (Navin B Chawla)

Election Commissioner **Chief Election Commissioner** **Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 10th August, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1660(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

श्री यू० आर० बेनीवाल, संयोजक, जाट जागरण मंच, जोधपुर द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री शरद पवार, संसद के आसीन सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में एक याचिका (बिना तारीख की) प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री शरद पवार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं जोकि अभिकथित रुप से लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री शरद पवार संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्य (लोक सभा) बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पद संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं है;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 का खंड (ड) श्री शरद पवार को निरर्हता, यदि उनके द्वारा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण किए जाने के कारण कोई उपगत हुई थी भी तो, से संरक्षा प्रदान करती है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि श्री शरद पवार ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण करने के कारण संसद सदस्य (लोक सभा) बने रहने के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं की है;

अतः, अब, मैं, ए०पी०जे० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री शरद पवार ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण करने के कारण संसद सदस्य (लोक सभा) बने रहने के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं की है जैसा कि श्री यू० आर० बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत याचिका में अभिकथन किया गया है ।

भारत का राष्ट्रपति

25 सितम्बर, 2006.

[फा. सं. एच-11026(20)/2006-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा सदस्य श्री शरद पवार की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 44
[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन तारीख 17.04.2006 को एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री शरद पवार संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं । यह निर्देश, राष्ट्रपति को श्री यू.आर.बेनीवाल, संयोजक, जाट जागरण मंच, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत एक-याचिका (बिना तारीख की) से उद्भूत हुआ है ।

2. याचिका में अभिकथित निरर्हता के लिए यह आधार बताया गया है कि श्री शरद पवार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं, जो याची के अनुसार एक लाभ का पद है । इस एक मात्र कथन के सिवाय, याची ने, श्री पवार द्वारा यह पद धारण करने की तारीख, इस पद से श्री पवार को प्रोद्भूत होने वाले आर्थिक फायदे या लाभ जैसे कोई अन्य ब्यौरे नहीं दिए थे, तथा महत्वपूर्ण रूप से याचिका में इस संबंध में कोई दलील नहीं दी गई थी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद सरकार के अधीन आने वाला कोई पद है । अतः, आयोग ने आगे और कार्यवाही करने से पूर्व यह विनिश्चय किया कि याची को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, और तद्नुसार उसने याची को तारीख 25.04.06 को इस प्रभाव की एक सूचना जारी की, जिसमें उससे 15.05.06 तक उत्तर देने के लिए कहा गया था ।

3. अभी तक याची से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इन परिस्थितियों में आयोग ने यह विनिश्चय किया है कि वह आयोग के पास उपलब्ध ऐसे अभिलेखों के, जो याचिका में उठाए गए विवाद्यक से सुसंगत हैं, आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करे । बीसीसीआई सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन 28.11.1940 को रजिस्ट्रीकृत हुई एक सोसाइटी है । बीसीसीआई के ज्ञापन और नियमों तथा विनियमों के अनुसार, यह पूर्ण सदस्यों के रूप में विभिन्न राज्यों के क्रिकेट संगमों और किसी राज्य में क्रिकेट के लिए ऐसे केन्द्रीय नियंत्रक निकाय से मिलकर बनती है जो सहबद्ध सदस्य के रूप में संबद्ध हो । बीसीसीआई के अध्यक्ष का निर्वाचन, बोर्ड की साधारण वार्षिक बैठक में सदस्य संगमों द्वारा किया जाता है, और यह कोई ऐसा मामला नहीं है जहां सरकार द्वारा पद पर नियुक्ति की जाती है । इस प्रकार, बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद अनुच्छेद 102(1) (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन आने वाला कोई पद नहीं है । उक्त अनुच्छेद के अधीन यह सरकार के अधीन केवल ऐसा पद है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के विविध निर्णयों से यह भलीभांति स्थापित है कि इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि क्या कोई पद अनुच्छेद 102(1) (क) के प्रयोजनों के लिए सरकार के अधीन आने वाला पद है अथवा नहीं, किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करने की शक्ति और उसे उस पद से हटाने की शक्ति महत्वपूर्ण पहलू हैं । वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के निर्वाचन में सरकार की कोई भूमिका या हस्तक्षेप है ।

4. उपरोक्त के अलावा, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और जिसे 18.08.06 को अधिसूचित किया गया है, और जो संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करता है, भी वर्तमान याचिका के संदर्भ में सुसंगत है । उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन अंतःस्थापित खंड (ड) के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के अध्यक्ष के पद को निरर्हता से छूट प्राप्त है । उक्त खंड (ड) निम्नानुसार है :-

> " 3. <u>कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे</u> - एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद उसके धारक को संसद सदस्य चुने जाने या संसद-सदस्य होने या रहने के लिए वहां

तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :-

XXXX

(ङ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, के सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद ;" ।

5. जैसा कि पहले देखा गया है बीसीसीआई सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है । अत:, यदि केवल तर्क हेतु भी बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद को सरकार के अधीन लाभ का पद मान लिया जाए तो भी उस पद का धारक 1959 के अधिनियम की धारा 3(ङ) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त होगा ।

6. पूर्वोक्त को देखते हुए आयोग की सुविचारित राय यह है कि श्री शरद पवार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के पद को धारण करने के कारण निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

7. तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री शरद पवार ने, निर्देश के अधीन याचिका में उल्लिखित पद को धारण करने के कारण कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 1 सितम्बर, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2006

S.O. 1660(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition (undated) of alleged disqualification of Shri Sharad Pawar, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri U.R. Beniwal, Convener, Jat Jagran Manch, Jodhpur;

3125 GI/06-4

And whereas the said petitioner has averred that Shri Sharad Pawar is holding the office of the President of Board of Control for Cricket in India, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated 17th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Sharad Pawar has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has noted that the Board of Control for Cricket in India is a society registered under the Societies Registration Act, 1860 and the office of President of the Board of Control for Cricket in India is not an office under the Government within the meaning of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has further noted that clause (m) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 protects Shri Sharad Pawar from disqualification, if at all there was any, on account of his holding the office of the President of Board of Control for Cricket in India;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that Shri Sharad Pawar has not incurred any disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of holding the office of the President of Board of Control for Cricket in India;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Sharad Pawar has not incurred any disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his holding the office of the President of Board of Control for Cricket in India as alleged in the petition submitted by Shri U.R. Beniwal.

President of India

25th September, 2006

[F. No. H-11026(20)/2006-Leg. II]

DR. B. A. AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

In re:
Alleged disqualification of Sh. Sharad Pawar, Member of the Lok Sabha under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.

Reference Cases No. 44 of 2006
[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

A reference was received from the President of India, on 17-04-06, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Sh. Sharad Pawar has become subject to disqualification for being a Member of the Lok Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution. The reference arose out of a petition (undated) submitted to the President by Sh.U.R.Beniwal, Convener, Jat Jagran Manch, Jodhpur.

2. The ground for alleged disqualification given in the petition is that Sh. Sharad Pawar is holding the office of the President of Board of Control for Cricket in India (BCCI), which according to the petitioner is an office of profit. Other than this bald statement, the petitioner had not given any other detail such as the date on which Sh. Pawar assumed the said office, pecuniary benefit or profit accruing to Sh. Pawar out of the office, and more importantly, there was no averment in the petition that the office of President of the BCCI is an office under the Govt. Therefore, before proceeding further, the Commission decided to ask the petitioner to furnish necessary details, and accordingly, issued a notice to the petitioner on 25-04-06, to this effect, asking him to give his reply by 15-05-06.

3123GI/06-5

3. No reply has been received from the petitioner so far. In these circumstances, the Commission has decided to tender opinion on the basis of the records available with the Commission which are relevant to the issue raised in the petition. The BCCI is a Society registered under the Societies Registration Act, 1960, on 28-11-1940. As per the Memorandum and Rules and Regulation of the BCCI, it comprises the Cricket Associations of various States as full members and the Central Controlling Body for Cricket in any State which may be affiliated as an associate member. The President of the BCCI is elected by the Member Associations at the annual general meeting of the Board, and it is not a case of appointment to the office by the government. Thus, the office of President of the BCCI is not an office under the Government, within the meaning of Article 102 (1)(a). Under the said Article, it is only an office under the Government that comes under the purview thereof. It is well settled in a catena of decisions of the Supreme Court that the power to appoint the incumbent to the office and the power to remove him from the office are vital aspects in deciding whether an office is an office under the Government for the purposes of Article 102(1)(a). In the present case, the Government is not seen to have any role or say in the election of the President of the BCCI.

4. Apart from the above, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, enacted by the Parliament and notified on 18-08-06, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, is also relevant in the context of the present petition. As per clause (m) inserted under Section 3 of the Principal Act, vide the said Amendment Act, the office of President of any Society registered under the Societies Registration Act, 1860, is exempted from disqualification. The said clause (m) reads as under:

"3. Certain offices of profit not to disqualify :- It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament, namely :-

XXXXXX

(m) the office of Chairman, President. Vice-President or Principal Secretary or Secretary of the Governing Body of any society registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law relating to registration of societies, not being a body specified in the Schedule,".

5. As already seen, the BCCI is registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860. Therefore, even if, for argument's sake, the office of the President of the BCCI were to be treated as an office of profit under the Government, the holder of that office would still be exempted from disqualification under Section 3(m) of the 1959 Act.

6. In view of the foregoing, the Commission is of the considered opinion that Shri Sharad Pawar is not subject to disqualification on account of holding the office of the President of Board of Control for Cricket in India.

7. Accordingly, the reference received from the President is returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that Shri Sharad Pawar has not incurred any disqualification on account of holding the office mentioned in the petition under reference..

(S. Y. QURAISHI)
Election Commissioner

(N. GOPALASWAMI)
Chief Election Commissioner

(NAVIN B. CHAWLA)
Election Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.